

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। प्रार्थिया उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विपक्षी को नोटिस जरिये डाक प्रेषित किये गये थे, जिसकी पोस्ट ऑफिस के ट्रैक कन्साईन्मेण्ट की वेबसाईट प्रति कागज संख्या-14बी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें दिनांक-18.09.2021 को " Item Delivery confirmed " का इन्द्राज अंकित है। रजिस्ट्री वापस लौटकर भी नहीं आयी है, अतः विपक्षी पर नोटिस का तामीला पर्याप्त माना जाता है। विपक्षी को प्रतिवादपत्र हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली दिनांक-15.11.2021 को वास्ते प्रतिवादपत्र पेश हो।

दिनांक-22.10.2021

पी0ए0-राजीव शर्मा

(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।